सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-15/2021/1213/22-2-2020-17(368)/2020

लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार**, **फतेहगढ़** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी चन्द्रपाल सिंह (बन्दी संख्या-27992) पुत्र स्व0 कल्यान सिंह, निवासी-विचपुरी**, **थाना-अलीगंज, जनपद-एटा**, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-315/1983** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 09.12.1983** को **मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा** द्वारा **आजीवन कारावास से दण्डित** किया गया**,** जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2018 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2019 द्वारा यथावत रखा गया, की अत्यधिक आयु**,** कारागार में भोगी गयी सजा**,** संतोषजनक जेल आचरण**,** बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखने का कोई सार्थक प्रयोजन नहीं होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, एटा** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2021/1213(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
3- पुलिस अधीक्षक, एटा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in